दिनांक 11.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 14 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से रेलवे सुरक्षा बल एवं रेलवे के अन्य अधिकारीगणों के साथ की गयी कोऑर्डिनेशन बैठक

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 11.09.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक एस0टी0एफ0/ कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध उ0प्र0, समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, पुलिस आयुक्त लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/प्रयागराज/आगरा/गाजियाबाद तथा अपर महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल बड़ौदा हाउस दिल्ली एवं प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त एन0आर0 दिल्ली/एन0ई0आर0 गोरखपुर/एन0सी0आर0 प्रयागराज, डी0आर0एम0 एन0आर0 लखनऊ/एन0ई0आर0 लखनऊ/एन0ई0आर0 वाराणसी/एन0ई0आर0 इज्जतनगर/एन0सी0आर0 प्रयागराज/एन0सी0आर0 आगरा/एन0सी0आर0 झांसी, ए0डी0आर0एम0 दिल्ली/अम्बाला/मुगलसराय/मुरादाबाद, पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे प्रयागराज/ समस्त पुलिस अधीक्षक जी0आर0पी0 उत्तर प्रदेश के साथ रेलवे ट्रैक की सुरक्षा एवं अराजकतत्वो पर निगरानी के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कोऑर्डिनेशन बैठक की गयी।

उक्त बैठक में रेलवे ट्रैक अवरूद्ध करने सम्बन्धी घटित घटनाओ के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु बेहतर समन्वय रखते हुए प्रभावी कार्यवाही करने, सुरक्षा के दृष्टि से वाल–फेसिंग कराये जाने, वल्नरेबुल क्षेत्र को चिन्हित करने, संयुक्त पेट्रोलिंग कराने, मंडल स्तर पर त्रैमासिक समन्वय बैठक करने, रेलवे ट्रैक के आसपास हुए अवैध निर्माण को नियमानुसार हटवाये जाने एवं एसओपी तैयार कर कार्यवाही करने, रेलवे ट्रैक की समुचित सुरक्षा हेतु उच्चिकृत टेक्नॉलाजी का उपयोग करने, ट्रेन इंजन एवं कोचेज में सीसीटीवी कैमरा लगवाये जाने आदि विषयो पर उपस्थित अधिकारीगण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से चर्चा की गयी।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा कहा गया कि देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क उ0प्र0 का है। विगत में रेलवे ट्रैक के अवरूद्ध करने संबंधी घटनाओं में समन्वय रखते हुए घटनाओं को रोकने हेतु सभी Stakeholders को सम्मिलित कर एस0ओ0पी0 बनाकर कार्यवाही की जाये तथा उपस्थित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया किः–

- रेलवे ट्रैक अवरूद्ध करने संबंधी घटनाओं को रोकने हेतु रेलवे/आरपीएफ /जीआरपी व स्थानीय पुलिस द्वारा समन्वय स्थापित कर रेलवे ट्रैक की संयुक्त पेट्रोलिंग करायी जाये तथा किसी प्रकार के प्राप्त इनपुट को शेयर किया जाये।
- ट्रेनो पर पत्थरबाजी की घटनाओ को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये तथा ऐसे तत्वो को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।
- विगत 10 वर्षो में रेलवे ट्रक पर जो भी आपराधिक घटनाए हुई है उनका विश्लेषण किया जाये तथा उससे सम्बन्धित अपराधियों की निरन्तर निगरानी/चेकिंग करायी जाये।
- रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले लोगो का वेरिफिकेशन कराया जाये।
- रेलवे ट्रैक पर वल्नरेबुल क्षेत्रो को चिन्हित कर प्रभावी कार्यवाही की जाये।
- डी0एफ0एम0डी0/एचएचएमडी/बैगेज स्कैनर की सक्रियता सुनिश्चित की जाये।
- किसी प्रकार की घटना की सूचना तत्काल 112 पर दिया जाये।
- आगामी कुम्भमेला के आयोजन के दृष्टिगत रेलवे ट्रैक के आसपास के अवैध निर्माण को नियमानुसार हटाये जाने की कार्यवाही की जाये।

मुख्यालय
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
PREMIER

PREMIER

दिनांक 11.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 15/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सुलतानपुर/थाना कोतवाली नगर

- **01–01 लाख रूपये के 04 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 किलो 415 ग्राम सोने के आभूषण**
- **04 अवैध शस्त्र मय कारतूस विभिन्न बोर**
- **01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 11.09.2024 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दूबेपुर मोड़ के पास से 04 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–दुर्गेश प्रताप 2–विनय 3–अरविन्द उर्फ फौजी 4–विवेक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 किलो 415 ग्राम सोने के आभूषण, 04 अवैध शस्त्र मय कारतूस विभिन्न बोर, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अरविन्द उर्फ फौजी के विरूद्ध जनपद आजमगढ़, रायबरेली, सुलतानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 25 अभियोग, अभियुक्त विनय के विरूद्ध जनपद सुलतानपुर, अमेठी के विभिन्न थानो में लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाल नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जोन स्तर से 01–01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दुर्गेश प्रताप निवासी डीह नयापुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली।

2–विनय निवासी सहमेउ थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।

3–अरविन्द उर्फ फौजी निवासी ग्राम चमराडीह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

4–विवेक निवासी भवानीनगर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।

बरामदगी

1– लूट के 01 किलो 415 ग्राम सोने के आभूषण।

2–04 अवैध शस्त्र मय कारतूस विभिन्न बोर।

3–01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद खीरी/थाना भीरा

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के 10 हजार 940 रूपये नगद**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 11.09.2024 को थाना भीरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाशिम टाण्डा चौराहा के पास से 05 अभियुक्तों 1–विनीत उर्फ हरीश 2–शिवमोहन उर्फ छोटू 3–सोनू 4–अतुल 5–जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के 10 हजार 940 रूपये नगद, लूट के सोने के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सोनू के विरूद्ध जनपद खीरी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त विनीत उर्फ हरीश, शिवमोहन उर्फ छोटू, जितेन्द्र व अतुल के विरूद्ध जनपद खीरी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी आदि के 05–05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना भीरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विनीत उर्फ हरीश निवासी ग्राम रमुआपुर थाना पढुआ जनपद खीरी।

2–शिवमोहन उर्फ छोटू निवासी ग्राम रमुआपुर थाना पढुआ जनपद खीरी।

3–सोनू निवासी ग्राम रमुआपुर थाना पढुआ जनपद खीरी।

4–अतुल निवासी ग्राम रमुआपुर थाना पढुआ जनपद खीरी।

5–जितेन्द्र निवासी ग्राम रमुआपुर थाना पढुआ जनपद खीरी।

बरामदगी

1–लूट/चोरी के 10 हजार 940 रूपये नगद।

2–लूट के सोने के आभूषण।

3–घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल।

जनपद बागपत/थाना खेकड़ा

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 85 गैस सिलेण्डर**
- **घटना में प्रयुक्त 01 पिअकप वाहन बरामद**

दिनांक 11.09.2024 को थाना खेकड़ा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त सतीश को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 85 गैस सिलेण्डर, घटना में प्रयुक्त 01 पिअकप वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.09.2024 को थाना खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद गैस सिलेण्डर उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सतीश निवासी समसपुर थाना जाफरपुर कलां दिल्ली, हालपता सेक्टर सी–2, ट्रौनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गोमतीनगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 11.09.2024 को थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खरगापुर आउटर के पास से 03 अभियुक्तों 1–पंकज 2–विशाल 3–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.09.2024 को थाना गोमतीनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके समबन्ध में थाना गोमतीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–पंकज निवासी ग्राम कोतवालपुर थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर, हालपता विभवखण्ड गोमतीनगर थाना विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।

2–विशाल निवासी ग्राम कोरोराघवपुर थाना हैदरगंज जनपद अयोध्या, हालपता विभवखण्ड गोमतीनगर थाना विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।

3–अभियुक्ता।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि।

एएनटीएफ/एएनटीएफ थाना मेरठ

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 कुन्तल 01 किलो 140 ग्राम अवैध गांजा**
- **नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन**
- **01 ट्रक आदि बरामद**

दिनांक 11.09.2024 को एएनटीएफ थाना मेरठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गाजियाबाद से मुरादाबाद जाने वाली सड़क बक्सर कट के पास से अभियुक्त वकील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 कुन्तल 01 किलो 140 ग्राम अवैध गांजा, नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन, 01 ट्रक आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वकील निवासी कस्बा व थाना डिडौली जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1—लगभग 02 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 कुन्तल 01 किलो 140 ग्राम अवैध गांजा।

2—नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन।

3—01 ट्रक आदि।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 30—30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा

302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सोहेल 2–सत्तार को आजीवन कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 55–55 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कोतवाली उरई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/147/148 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रानू उर्फ धर्मेन्द्र 2–उदयवीर 3–विजय 4–मंगल को 10–10 वर्ष के कारावास व 55–55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–दिनांक 12–09–2023 को जनपद–मीरजापुर में हुई कैश वैन (एक्सिस बैंक) के गार्ड की गोली मारकर हत्या व 02 कैश वैन कर्मी को घायल कर लूट की घटना का अनावरण, घटना में शामिल कुख्यात लुटेरा राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना गिरफ्तार।</u>

एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद–मीरजापुर के मुख्य बाजार में लुटेरों द्वारा दिनांक 12–09–2023 को दिनदहाड़े एक्सिस बैंक के कैश वैन के गार्ड की गोली मारकर हत्या व 02 कैश वैन कर्मी को गोली मारकर घायल कर 40,79,162/–रूपये के लूट की घटना का अनावरण करते हुये घटना में सम्मिलित कुख्यात लुटेरा राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार करते हुये उसके पास से लूट के 1,93,000/–रूपये बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना पुत्र परमानन्द साहनी निवासी पीरापुर थाना जन्दहा जनपद वैशाली (बिहार)।

<u>बरामदगीः–</u>

1– 1,93,000/–रूपये नगद।

2– 01 अदद मोबाइल फोन।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–</u>

थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर दिनांक 11–09–2024

उल्लेखनीय है कि जनपद मीरजापुर के थाना कटरा कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 12–09–2023 को रेडिएंट कम्पनी कैश डिलिवरी वैन से कस्टोडियन अखिलेश कुमार, रजनीश मौर्य, सुरक्षा गार्ड जय सिंह के साथ कस्बा बेल्सर स्थित एक्सिस बैंक ए0टी0एम0 में कैश भरने आये थे। इसी दौरान कैश वैन का गेट खोलते समय 02 बाईक पर सवार 04 अज्ञात बदमाशों द्वारा उक्त बैंक कर्मियों पर फायरिंग करते हुये कैश वैन से रू0 40,79,162/– (चालीस लाख उन्नासी हजार एक सौ बासठ रूपये) कैश लेकर फरार हो गये। इस दौरान सुरक्षा गार्ड जय सिंह को बदमाशों की गोली लगने से मृत्यु हो गयी तथा कैश वैन कर्मी अखिलेश कुमार एवं रजनीश बुरी तरह से घायल हो गये। इस संबंध में मु0अ0सं0 217/2023 धारा 302/394/307/34 भा0द0वि0 व 07सी0एल0ए0 एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना मीरजापुर पुलिस प्रारम्भ की गयी। बाद में इस अभियोग की विवेचना एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को सुपुर्द की गयी। उक्त विवेचना निरीक्षक श्री राघवेन्द्र मिश्रा एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी को सुपुर्द की गयी। इस घटना के अनावरण हेतु निरीक्षक श्री अमित श्रीवास्तव एवं निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में टीम गठित करते हुये घटना का अनावरण करते हुये विवेचना के निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश उच्चाधिकारीगण द्वारा दिये गये। उक्त निर्देश के क्रम में निरीक्षक अमित श्रीवास्तव एवं निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह व निरीक्षक/विवेचक राघवेन्द्र मिश्र धरातलीय एवं इलेक्ट्रानिक अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अभिसूचना संकलन एवं विवेचना से प्रथम दृष्टया यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त घटना को जनपद वैशाली (बिहार) के आलोक कुमार उर्फ अम्बानी गिरोह द्वारा किया गया है, जिस पर एस0टी0एफ0 वाराणसी की उक्त टीम आलोक कुमार उर्फ अम्बानी तथा इसके गिरोह के संदिग्ध अपराधियों के संबंध में वैशाली (बिहार) में धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी कि जरिये विश्वस्त सूत्र ज्ञात हुआ कि मीरजापुर की उक्त बैंक लूट की घटना में उक्त गैंग के संदिग्ध राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना पुत्र परमानन्द

साहनी निवासी पीरापुर थाना जन्दहा जनपद वैशाली (बिहार) अपने गॉव में मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाये तो मिल सकता है। उक्त सूचना पर संदिग्ध अपराधी राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना को पूछताछ हेतु थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर लाया गया तथा जनपद मीरजापुर स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुये बुलाया गया। राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना ने पूछताछ के दौरान अपने गिरोह के आलोक कुमार उर्फ अम्बानी, आनन्द मोहन तथा अमन कुमार के साथ उक्त घटना को अंजाम दिये जाने की बात स्वीकार करते हुये बताया कि लूट की घटना के बाद आलोक कुमार उर्फ अम्बानी ने 2.50 लाख दिये थे, शेष 05 लाख रूपये बाद में देने की बात कहा था। अभी कुछ दिन पहले उसने लूट का उसके हिस्से का बाद का शेष 05 लाख रूपये दिया था, जिसमें से कुछ खर्च हो गया है। मेरे पास से जो पैसा मिला है, यह उसी लूट शेष बचा पैसा है। इस आधार पर राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना को उक्त अभियोग में गिरफ्तार करते हुये उपरोक्त बरामदगी गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ, अब तक की विवेचना, धरातलीय एवं इलेक्ट्रानिक अभिसूचना संकलन से पाया गया कि आलोक कुमार उर्फ अम्बानी पुत्र शत्रुध्न प्रसाद सिंह निवासी महिसौर थाना महिसौर जनपद वैशाली (बिहार) एक कुख्यात अपराधी है, जिसके विरूद्ध बैंक लूट, हत्या सहित दर्जनों अभियोग बिहार के विभिन्न थानों पर पंजीकृत है। इसका अपना एक गिरोह है। राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना आलोक कुमार उर्फ अम्बानी के क्षेत्र का ही रहने वाला है तथा मछली के कारोबार के दौरान इसकी मुलाकात आलोक कुमार उर्फ अम्बानी से हो गयी और आलोक कुमार उर्फ अम्बानी इसे भी अपने गिरोह में शामिल कर लिया और बिहार में कई घटनाओं को अंजाम दिया, परन्तु इसमें राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना का नाम प्रकाश में नही आया। आलोक कुमार उर्फ अम्बानी चूंकि जनपद वैशाली (बिहार) का कुख्यात अपराधी तथा बैंक लुटेरा है, जिसके कारण यह जनपद वैशाली अथवा इसके आस–पास के जनपदों में बैंक लूट की घटनाओं को अंजाम न देकर बिहार के सीमावर्ती जनपदों में बैंक की रैकी कर घटना को अंजाम दिया जाता है।

जनपद मीरजापुर की उक्त घटना को अंजाम देने के लिये आलोक कुमार उर्फ अम्बानी अपने साथी अमन कुमार के साथ दिनांक 07, 08 व 09 अगस्त 2023 को मीरजापुर आया था तथा घटनास्थल व आने–जाने के मार्ग को चिन्हित कर उसकी रैकी की गयी थी। इसके उपरान्त आलोक कुमार उर्फ अम्बानी द्वारा अपने साथी अमन कुमार, आनन्द मोहन तथा राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना की एक टीम बनायी गयी तथा एक्सिस बैंक के कैश वैन को लूटने की योजना तैयार की गयी। उक्त योजन के तहत दिनांक 10–09–2023 को उक्त चारो साथी दो मोटरसाकिल (हीरो एक्स प्लस तथा अपाचे) से जनपद वैशाली से चलकर भभुआ (बिहार) में दो अलग–अलग होटल डायमण्ड तथा कोहिनूर में कमरा लेकर रूक गये। दिनांक 11–09–2023 को आलोक कुमार उर्फ अम्बानी तथा राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना अपाचे मोटरसाइकिल से पूर्व से चिन्हित घटनास्थल तथा भागने के मार्ग की पुनः रैकी की गयी तथा इसके उपरान्त पुनः वापस भभुआ जाकर होटल में रूक गये। दिनांक 12–09–2023 को घटना वाले दिन उक्त चारो साथी दोनों मोटरसाइकिलो से सुबह 05.00 बजे भभुआ से मीरजापुर के लिये निकले। रास्ते में आलोक कुमार उर्फ अम्बानी ने अपने बैग से पिस्टल व कारतूस निकाल कर अपने सभी साथियों को दिया। उक्त चारो साथी पूर्व योजना के तहत जनपद मीरजापुर के थाना कटरा कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत कस्बा बेल्सर स्थित एक्सिस बैंक के पास पहुॅचकर कैशवैन के आने का इन्तजार करने लगे, जैसे ही कैश वैन एक्सिस बैंक के पास आकर रूकी और कैश बाक्स निकालने की तैयारी की गयी उसी दौरान पास मे मौजूद आलोक कुमार उर्फ अम्बानी द्वारा गार्ड को गोली मार दी गयी तथा अमन कुमार द्वारा भी गार्ड पर फायर किया गया। इस दौरान आनन्द मोहन कैश बाक्स लेकर भागा तथा राजीव कुमार साहनी द्वारा आगे बैठे कैश वैन कर्मियों को गोली मारकर उसके कैश से भरे बैग को छीन लिया गया। इसके बाद चारो बदमाश दोनो मोटरसाइकिल से भागने लगे। इसी दौरान घटनास्थल के पास एक राहगीर की मोटरसाइकिल इनकी मोटरसाइकिल से टकरा जाने पर इन लोगों द्वारा उस पर भी फायर कर राहगीर को घायल करते हुये हवाई पट्टी की तरफ भाग निकले। हवाई पट्टी के सुनसान स्थान पर कैश बाक्स से कैश निकाल कर बैग में भर लिये। इसी दौरान एक राहगीर इनकी

संदिग्ध गतिविधियों को देखकर टोका–टाकी करने पर उसे धमकाते हुये वहॉ से भाग निकले। वहॉ से भागने के उपरान्त पुनः भभुआ आकर मोहनिया होटल में रात में रूक गये। अगले दिन दिनांक 13–09–2023 को भोर में समय लगभग 04.00 बजे होटल से निकल कर वैशाली चले आये। वैशाली आकर लूट के पैसे का बटवारा किया गया। आलोक कुमार उर्फ अम्बानी द्वारा अभियुक्त राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना को 2,50,000/–रूपया देते हुये शेष 05 लाख रूपये बाद में दिये जाने की बात कही गयी। कुछ दिन बाद आलोक कुमार उर्फ अम्बानी ने राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना को उसके हिस्से का शेष 05 लाख रूपये देते हुये बताया कि यू0पी0 एस0टी0एफ0 को उन लोगों पर संदेह हो गया है। पूछताछ के लिये ढूढ रहे हैं, किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना ससुराल जाने के लिये निकल रहा था कि उसे पकड लिया गया। राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना ने अपने हिस्से में मिले बाद का शेष 05 लाख रूपये में कुछ पैसा खर्च कर दिया था, शेष पैसा उसके पास से बरामद हुआ है। राजीव कुमार साहन उर्फ मुन्ना द्वारा पूछताछ के दौरान बताये गये कथन का सत्यापन किया गया तो घटनास्थल व इसके आस–पास के सीसीटीवी फुटेज, इनके ठहरने वाले होटलो के अभिलेखों के मिलान, इनके मोबाइल डाटा के विश्लेषण आदि से राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना द्वारा बताये गये कथन की पुष्टि भी होती है। राजीव कुमार साहनी मु0अ0सं0 210/2017 धारा 25(1–बी)ए/ 26/35 आम्स एक्ट थाना जन्दहा जनपद वैशाली बिहार में जेल जा चुका है, इसके शेष अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार आलोक कुमार उर्फ अम्बानी वैशाली (बिहार) का एक कुख्यात अपराधी है तथा इसका अपना एक गिरोह है। आलोक कुमार उर्फ अम्बानी के पास से जनपद समस्तीपुर (बिहार) में ए0के0–47, कारबाइन व पिस्टल बरामद हुआ था। इसके द्वारा बिहार में एक अपने गिरोह के साथ मिलकर सनसनीखेज तरीके से ब्लॉक प्रमुख की हत्या की गयी तथा बिहार के जनपद समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर में लूट/बैंक लूट की घटनाओं का अंजाम दिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना को मु0अ0सं0 217/2023 धारा 302/394/307/34 भा0द0वि0 व 07 सी0एल0ए0 एक्ट थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर में दाखिल कर अग्रिम विधिक विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

एस0टी0एफ0–डकैती की घटना में जनपद बलरामपुर से वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी राहुल गुप्ता कोल्हापुर (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार।

दिनांक 10–09–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना रेहरा बाजार, जनपद बलरामपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 156/2022 धारा 395/420/467/468/471/411 भा0द0वि0 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी राहुल गुप्ता को महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

1– राहुल गुप्ता पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम महतिनीया थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–</u>

कस्बा बावड़ा, सुगरमील चौक, बस स्टाप के पास, दिनांक 10–09–2024 समय 18:35 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना रेहरा बाजार, जनपद बलरामपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 156/2022 धारा 395/420/467/468/471/411 भा0द0वि0 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी राहुल गुप्ता कोल्हापुर, महाराष्ट्र में रहता है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री अमित कुमार तिवारी के नेतृत्व में उ0नि0 विद्यासागर, मु0आ0 आलोक कुमार पाण्डेय, मु0आ0 अमित कुमार सिंह, मु0आ0 चालक नगेश कुमार मिश्रा की एक टीम कोल्हापुर महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई। कोल्हापुर पहुँचकर स्थानीय स्तर पर अभिसूचना संकलन के उपरान्त वांछित अभियुक्त राहुल गुप्ता के कस्बा बावड़ा, सुगरमील चौक, बस स्टाप के पास होने की सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा क्राइम ब्रान्च कोल्हापुर के सहायोग से अभियुक्त राहुल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल ने पूछताछ पर बताया कि उसका एक गिरोह है, जो पिछले कई वर्षो से चोरी, लूट, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। घटनाओं से प्राप्त पैसे आपस में बांट लेते है तथा सामानों को कुछ समय बाद बेचकर उसका भी पैसा आपस में बांट लेते है। दिनांक 05–09–2022 की सुबह जनपद बलरामपुर के रेहरा बाजार स्थित एक जनसेवा केन्द्र के खुलते ही अपने साथी रमेश, सुभाष, डाक्टर एवं एक अन्य (डाक्टर का साथी) के साथ मिलकर उक्त जनसेवा केन्द्र में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। जहॉ से प्राप्त पैसा आपस में बॉट लिया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना रेहरा बाजार में अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त बलरामपुर से भागकर मुम्बई चला गया था और वही पर छिपकर रह रहा था। इस घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

<u>अभियुक्त तबरेज का ज्ञात आपराधिक इतिहास निम्नवत है-</u>

क्0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	118/2019	458/382/411 भादवि	डुमरियागंज	सिद्धार्थनगर
2	127/2019	380/411 भादवि	डुमरियागंज	सिद्धार्थनगर
3	131/2019	4/25 आर्म्स एक्ट	डुमरियागंज	सिद्धार्थनगर
4	205/2019	3(1) यूपी गुण्डा एक्ट	डुमरियागंज	सिद्धार्थनगर
5	03/2020	3(2) यूपी गुण्डा एक्ट	भवानीगंज	सिद्धार्थनगर
6	55/2020	457/380/411 भादवि	भवानीगंज	सिद्धार्थनगर
7	66/2020	457/380/411/413/419/420/467/468/472/188/269/270 भादवि	भवानीगंज	सिद्धार्थनगर
8	83/2020	380/411 भादवि	भवानीगंज	सिद्धार्थनगर
9	158/2020	110 जी सीआरपीसी	भवानीगंज	सिद्धार्थनगर
10	327/2020	379/411 भादवि	हरैया	बस्ती
11	512/2020	379/411 भादवि	को0 नगर	बस्ती
12	156/2022	395/420/467/468/471/411 भादवि	रेहरा बाजार	बलरामपुर

गिरफ्तार अभियुक्त को गिरफ्तार अभियुक्त को थाना शाहुपुरी, जनपद कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में दाखिल करके दिनांक 11–09–2024 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय कोल्हापुर के समक्ष पेश कर 04 दिवस का ट्राजिंस्ट रिमाण्ड प्राप्त किया गया, तदोपरान्त अभियुक्त को उक्त अभियोग में दाखिल करने हेतु लाया जा रहा है।

एस0टी0एफ0–थाना नायगांव, जिला मिरा–भाईदर, वसई–विरार पुलिस कमिश्नरेट, महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0–422/ 2024 धारा 103(1), 140(2) बी0एन0एस0 में वांछित 02 अभियुक्त जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार।

दिनांक 10–09–2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना नायगांव, जिला मिरा–भाईदर, वसई–विरार पुलिस कमिश्नरेट, महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0–422/2024 धारा 103(1), 140(2) बी0एन0एस0 में वांछित 02 अभियुक्तों को जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1– मुकेश गोवर्धन दास खुपचंदानी पुत्र गोवर्धन दास, निवासी–शगुन निवास दशहरा मैदान बी/सी 1025, उल्हासनगर–3 जिला थाणे, महाराष्ट्र।

2– अनिल मल्लाह पुत्र राजकुमार उर्फ नेपाल मल्लाह निवासी ग्राम–घिराऊजोत, थाना पकड़ी, जिला कपिलवस्तु, नेपाल।

बरामदगीः

1– 01 अदद कलाई घड़ी (**OMEGA COMPANY** हत्या कर लूटी गयी)

2– 01 अदद हीरा जड़ित सोने की अंगूठी। (हत्या कर लूटी गयी)

3– रूपया 17,000/– नगद। (हत्या कर लूटी गयी)

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः

भैरोपुर तिराहे के पास, थाना एम्स, जनपद गोरखपुर दिनांक 10–09–2024 समय लगभग 23:00 बजे।

थाना नायगांव, जिला मिरा–भाईदर, वसई–विरार पुलिस कमिश्नरेट, महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0–422/2024 धारा 103(1), 140(2) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त मुकेश गोवर्धन दास खुपचंदानी व अनिल मल्लाह की गिरफ्तारी हेतु महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एस0टी0एफ0 से सहयोग मांगा गया था। जिस पर श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में श्री सत्य प्रकाश सिंह निरीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गोरखपुर के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 10–09–2024 को निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक श्री यशवंत सिंह, मु0आ0 महेन्द्र प्रताप सिंह, मु0आ0 अशोक कुमार सिंह, मु0आ0 उमेश कुमार सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई गोरखपुर एवं एपीआई श्री गनेश केकान, एपीआई श्री नितिन वेन्द्रे महाराष्ट्र पुलिस टीम द्वारा अभिसूचना संकलन किया जा रहा था कि इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना नायगांव, जिला मिरा–भाईदर, वसई–विरार पुलिस कमिश्नरेट, महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0–422/2024 में वांछित अभियुक्त मुकेश गोवर्धन दास खुपचंदानी व अनिल मल्लाह भैरोपुर तिराहे के पास मौजूद हैं। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम व महाराष्ट्र पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए वांछित दोनों अभियुक्तों को उक्त स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त मुकेष गोवर्धन ने पूछताछ पर बताया कि वह रामचन्द्र गुरूमुखदास ककॅरानी का निजी ड्राइवर था। रामचन्द्र की गाड़ी चलाते–चलाते मुकेश गोवर्धन को यह जानकारी हुई कि वह लाखों की घड़ी एवं सोने की हीरा जड़ित अॅगूठी पहनते हैं। रामचन्द्र गुरूमुखदास चालक मुकेश गोवर्धन उपरोक्त के साथ ही अपने 3–4 पेट्रोल पम्पों से पैसा कलेक्शन के लिए जाते थे। मुकेश ने अपने साथियों अनिल मल्लाह और अन्य के साथ रामचन्द्र की हत्या कर लूट की योजना बनाया। दिनांक 25–08–2024 को मुकेश गोवर्धन उपरोक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर रामचन्द्र की हत्या कर शव को उनकी गाड़ी HYUNDAI EXTER में ही छोड़कर उनकी हीरा जड़ित सोने की अॅगूठी व बेश कीमती OMEGA घड़ी को व कलेक्शन के पैसे को लूट लिया था। विस्तृत पूछताछ विवेचक/महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना एम्स, जनपद गोरखपुर में दाखिल किया गया। ट्रॉजिट रिमाण्ड एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना नायगांव, जिला मिरा–भाईदर, वसई–विरार पुलिस कमिश्नरेट, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की जाएगी।

––––––